

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
 (एकल खिड़की कोषांग 04-शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)

**लोक सभा आम निर्वाचन 2019 के चुनाव-प्रचार-प्रसार हेतु वाहन परिचालन हेतु अनुमति पत्र
 स्वीकृति आदेश सं० - 102**

दिनांक:- 20/4/19


श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह पिता/पति श्री ब्रह्मदेव सिंह ग्राम ओम ब्रह्म जानकी भावना थाना कुण्डवा चैनपुर चुनाव अभिकर्ता श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह अभ्यर्थी ऑल इन्डिया फॉरवार्ड ब्लॉक के द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु आवेदन में वर्णित वाहनों का शिवहर लोक सभा/विधान सभा क्षेत्र के लिए श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह पाटी का नाम निर्दलीय के चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु वाहन परिचालन हेतु आवेदन पत्र दिया गया है 04 शिवहर लोक सभा क्षेत्र में निम्नलिखित वाहनों के परिचालन की अनुमति निम्न उल्लेखित शर्तों के तहत दी जाती है :-

क्र 0	वाहन का प्रकार	वाहन संख्या	वाहन प्रयोग करने वाले का नाम/अभिकर्ता	वाहन मालिक का नाम/पता/मो बाल०	वाहन चालक का नाम/पता/ अनु०स०	वाहन पर प्रयोग हेतु ध्वनी विस्तारक यत्र एवं झंडा			अनुमति की तिथि/अवधि	
						प्रयोग करेंगे (हों /नहीं)	यत्र की संख्या/प्रकार	झंडा	कद से	कद तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बोलेरो 3187	BR52 7764938555	श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह	राजेश कुमार सिंह 7764938555	राजेश कुमार सिंह 7764938555	नहीं	शुन्य	एक	20.04.2019 6 बजे	10.05.2019 संख्या तक

- लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के अवसर पर लागू आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- यह अनुमति पत्र मूल में उक्त वाहन के आगे सुलभ दृष्टिगोचर स्थान पर विन्ड स्फीन पर लगा/विपका कर रखेंगे तथा इसका उपयोग अन्य वाहन पर कदापि नहीं करेंगे।
- किसी प्रकार की विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने अथवा उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- निर्धारित समय-सीमा समाप्ति के उपरान्त वाहन मालिक यह अनुमति पत्र एकल खिड़की कोषांग 04-शिवहर, पूर्वी चम्पारण में अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।
- यह अनुमति पत्र यह मानते हुए प्रदान किया गया है कि वाहन रजिस्ट्रेशन/चालक का लाइसेंस/वाहन का बीमा/प्रदूषण मुक्त प्रमाण-पत्र तथा अन्य वांछित कागजात/Motor Vehicle Act के प्रावधानों को पूरा करता है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन की स्थिति में पकड़े जाने पर सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

वाहन परिचालन अनुमति के लिए अनिवार्य वांछित कागजात :-

- (i) वाहन निर्बंधन प्रमाण-पत्र (ii) अद्यतन एवं वैध कागजात
 (iii) प्रदूषण/फिटनेस प्रमाण-पत्र (iv) वाहन चालक का अनुज्ञापि की छाया प्रति
 (v) वाहन मालिक का एकरारनामा शपथ-पत्र (मूल में) जिसमें दैनिक भाड़ा वर्णन होगा
- वाहन में एक झंडा अधिकतम $1\text{ft} \times \frac{1}{2}\text{ft}$ लगाने की अनुमति होगी। कोई बैनर/पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं होगी। 1 या 2 छोटे साईज का स्टिकर वाहन में लगाया जा सकता है।
 - वाहन का उपयोग प्रचार सामग्री के वितरण में नहीं की जा सकती है।
 - वाहन के पूर्ण व्यय का लेखा-जोखा अभ्यर्थी के व्यय खाते में संधारित करना अनिवार्य होगा।
 - यह अनुमति दिनांक 20.04.2019 से 10.05.2019 के संख्या 5 बजे तक अनुमान्य होगा। इसके पश्चात वाहन को वाहन कोषांग में जमा करना चाहेंगे।
 - विशेष परिस्थिति बिना किसी कारण बताये उपरोक्त अनुमति को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
 - यह अनुमति लोक सभा क्षेत्र 04-शिवहर संबंधित ही अनुमान्य है।
 - अभ्यर्थी जिस दल से संबंधित है उसके अतिरिक्त अन्य दल के प्रचार में पाया गया तो अनुमति रद्द करते हुए वाहन जब्त कर लिया जाएगा।


 निर्वाची पदाधिकारी
 04-शिवहर, लोक सभा क्षेत्र

19.4.19

ज्ञापांक १०.२ / ए०खिं०को०, शिवहर, दिनांक २० अप्रैल २०१९

- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक निर्वाचन पदाधिकारी/शिवहर लोक सभा क्षेत्र/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग(एम०सी०सी०)/व्यय अनुश्रवण कोषांग, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निर्वाची पदाधिकारी ०३-पूर्वी चम्पारण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/सीतामढी एवं शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मोतिहारी, सीतामढी एवं शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित।

निर्वाची पदाधिकारी
०४-शिवहर लोक सभा क्षेत्र

१९.४.१९